(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : दो–निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/3878 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 4–9–2017 – पारित द्वारा – कलेक्टर जिला दतिया – प्रकरण क्रमांक 79 बी–121/2016–17

गुरूमुख दास तुलसानी तनय स्व. मंगतराम तुलसानी
निवासी मुडियन का कुआ दतिया, मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 07-08-2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 79 बी–121/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 4–9–17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर दतिया दतिया ने भू संपदा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश भोपाल के प्रकरण क्रमांक M-DTA-17-0024 में पारित आदेश दिनांक 18–8–17 पर से आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 79 बी–121/ 2016–17 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4–9–2017 जारी किया, कि मौजा दतिया स्थित आराजी सर्वे क्रमांक 2187/13/क/मिन 1 रकबा 0.205 हैक्टर भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से भूमि का ले–आउट कराये बिना एंव कालोनाइजर्स लायर्सेस लिये बिना तथा बिना किसी नक्शा तैयार किये हुये और बिना आवश्यक विकास कार्य (सड़क नाली इत्यादि) के जमीन के प्लाट काटकर टुकड़ों टुकड़ों में विभिन्न लोगों को बेंचा है। उक्त कृत्य से नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339ग

का उल्लंघन किया गया है जिसके अपराध के लिये अनधिक शास्ति अधिरोपिता की जावे। आवेदक से उत्तर तलब किया। कलेक्टर जिला दतिया द्वारा आवेदक को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 4-9-17 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक एंव म.प्र.शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि संपदा विनियामक एंव विकास प्राधिकारण भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक **M-DTA-17-0024** में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 के पद 12 में बताया है कि प्राधिकारण द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार कलेक्टर दतिया द्वारा प्राधिकरण के आदेश का सही अर्थ न निकाल कर गलत ढंग से मामला पॅजीबद्व करके नोटिस जारी किया है, जबकि इसी मामले में मान. उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 6399/17 लम्बित है। यदि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में कार्यवाही राजस्व विभाग को करना है उसके लिये कलेक्टर सक्षम न्यायालय नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस विषय पर कोई मामला लम्बित नहीं है इसलिये कलेक्टर दतिया द्वारा अक्षम न्यायालय होते हुये भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिये कलेक्टर जिला दतिया द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 4-9-17 निरस्त किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन के पैनल लायर का तर्क है कि भूमि संपदा विनियामक एंव विकास प्राधिकारण भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक **M-DTA-17-0024** में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 के पद 13 में कलेक्टर दतिया को कार्यवाही करने एंव निर्णय लेने की आज्ञा है जिसके पालन में कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने तर्को में यह भी बताया कि यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुचित भूमि परिवतन पर कार्यवाही नहीं जाती है तब कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी का अपीलीय/निगरानी कोर्ट होने से तदाशय की कार्यवाहीं संज्ञान में लेने की अधिकारिता रखता है। उन्होंने कलेक्टर दतिया द्वारा की जा रही कार्यवाही को नियमानुकूल होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 79 बी-121/ 2016-17 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि भूमि संपदा विनियामक एंव विकास प्राधिकारण भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक **M-DTA-17-0024** में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 के पद 13 (2) में भूमि संपदा विनियामक एंव विकास प्राधिकारण भोपाल की संभावित फुल बेंच ने इस प्रकार निर्णीत किया है :-

" उपरोक्तानुसार बिना व्यवस्थित ले आउट तैयार किए हुए, टुकड़ों टुकड़ों में भूमि बेंचना और विकय पत्रों में स्पष्ट नक्शा एंव सही चतुर्सीमा का विवरण दिए बिना, विकय करना ही प्रश्नाधीन विवाद का

मूल कारण है। अतः कलेक्टर दतिया को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी जो अनुविभागीय अधिकारी स्तर से कम स्तर के न हों , उपलब्ध तथ्यों और विक्रय पत्रों के आधार पर तथा विक्रेता श्री तुलसानी एंव शिकायतकर्ता सुश्री रजनी लिटोरिया तथा अन्य केता श्री कालीचरण राठैर को सुनने के पश्चात् स्थल पर उचित सीमांकन करें और सीमांकन के आधार पर वास्तविक केताओं को भूमि का कब्जा दें। ”

माननीय भूमि संपदा विनियामक एंव विकास प्राधिकारण भोपाल के उक्तानुसार निर्णय के प्रकाश में कलेक्टर दतिया ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 4-9-17 जारी करके आवेदक से वास्तविक स्थिति जानने एंव उन्हें सुने जाने का निर्णय लिया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है क्योंकि आवेदक के पास कलेक्टर दतिया के समक्ष सुनवाई के अधिकार होने/न होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत करने अथवा अन्य बचाव (लेखी/मौखिक साक्ष्य) प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

6/ आवेदक कलेक्टर दतिया के समक्ष (लेखी/मौखिक साक्ष्य) प्रस्तुत करने एंव अन्य प्रकार का बचाव प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है एंव कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 79 बी-121/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-9-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर